झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि–**03.10.2025**

विज्ञापन संख्या–07/2025

निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची (गैर संवर्गीय) के एकल पद पर नियुक्ति परीक्षा।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–3757 दिनांक–26.08.2022 एवं पत्रांक–364, दिनांक–16.01.2024 के आलोक में निदेशक, विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची (गैर संवर्गीय) के एकल पद पर सीधी भर्त्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप एवं संसूचित रिक्ति के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीयों से निम्न प्रकार विहित शर्त्तों एवं निर्देशों के अनुरूप One Time Registraion (OTR) System के माध्यम से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है

1. **पद का नाम** – निदेशक, (Director)
2. **रिक्तियों का विवरण – 01 (अनारक्षित)**
3. **वेतनमान** – PB-IV (37400-67000), Grade Pay :- 8700 (Level-13)
4. **पद की प्रकृति** – स्थायी
5. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता :–**

a)	**शैक्षणिक योग्यता**	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी, गणित, रसायन, जन्तु–विज्ञान, जीव–विज्ञान, माल्युकुलर बायलोजी, बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति विज्ञान में M.Sc होना आवश्यक है। **अथवा** 55% अंको के साथ मनोविज्ञान में M.A या M.Sc **अथवा** 55% अंको के साथ M.C.A, B.Tech/B.E (सूचना प्रौद्योगिकी), B.Tech/B.E (Computer Science), B.Tech/B.E (Electronics and Instrumentation) **अथवा** 55% अंको के साथ Forensic Science में M.Sc
b)	**अन्य अर्हताएँ**	किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपनिदेशक अर्थात ग्रेड पे रू0 6600 में 08 वर्षो का कार्यानुभव अथवा अपर निदेशक अर्थात ग्रेड पे रू0 7600 में 05 वर्षो का कार्यानुभव होना आवश्यक है।

6. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि** – **01.08.2023**

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – **50 वर्ष ।**

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – **55 वर्ष ।**

7. **सेवा–निवृत्ति की उम्र** – **60 वर्ष ।**

8. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(i) चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।

(ii) भिन्न–भिन्न शैक्षणिक योग्यता होने के कारण कार्यानुभव के लिए अधिमानता अंक निर्धारित नहीं किया गया है।

(iii) शैक्षणिक योग्यता हेतु 80 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 20 अंक कुल–100 अंक निर्धारित किया गया है एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–13026, दिनांकं–27.11.2012 के आलोक में न्यूनतम अर्हता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

नोट :– उक्त न्यूनतम अहर्तांक कुल–100 अंको पर लागू होगा।

(iv) शैक्षणिक योग्यता हेतु अंको का विभाजन एवं गणना का निर्धारण निम्नवत् है :–

शैक्षणिक योग्यता/डिग्री	**अधिकतम अंक**	**गणना**
10th या मैट्रिकुलेशन	20	कुल प्राप्तांक प्रतिशत x 20/100
12th या इन्टरमीडिएट	20	कुल प्राप्तांक प्रतिशत x 20/100
वांछित शैक्षणिक योग्यता	40	कुल प्राप्तांक प्रतिशत x 40/100
साक्षात्कार	20	20
कुल	**100**	**100**

9. **परीक्षा शुल्कः–**

(a) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जाएगा।

(b) अनारक्षित, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ)** मात्र है।

(c) **परीक्षा शुल्क में छूट**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास)** मात्र है। परीक्षा शुल्क में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(d) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना एवं आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(e) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

10. **<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश</u> :–**

(क) (i) **ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप कंडिका–10(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (Hard Copy) निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों–हाथ आयोग कार्यालय के पते 'परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001 पर निर्धारित तिथि–17.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर "विज्ञापन संख्या–07/2025", "पद का नाम–निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची", OTR No. एवं Registration No. मोटे (Bold) अक्षरो में अंकित किया जाना अनिवार्य है।**

(ii) **साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि तद्नुसार समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित एवं संलग्न प्रमाण पत्र/अभिलेखों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।**

(ख) (i) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट <u>www.jpsc.gov.in</u> पर One Time Registration (OTR) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी वांछित अभिलेखों को अपलोड करना सूनिश्चित करेंगे।

(iii) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन पत्र भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।

(v) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vi) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।

(viii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तद्नुसार समर्पित ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की Hard Copy के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। OTR के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने के क्रम में अभ्यर्थी वांछित अभिलेखों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – +917979970392, +918340331314 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(ड.) **ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Technical help Line No. +917979970392, +918340331314 एवं E-mail id- helpdesk@jpscexam.com पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– **+917979970392, +918340331314** पर संपर्क किया जा सकता है।

(छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ज) One Time Registration (OTR) System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन अद्यतन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

(झ) Online आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(ट) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(ठ) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, स्नातक एवं स्नातकोतर अंक एवं प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अनिवार्य रूप से अवश्य प्रविष्टि करेंगे।

(ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(त) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाओं तद्नुसार समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की Hard Copy के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने या भिन्नता की स्थिति पाये जाने पर आयोग ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(थ) **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगेः–**

(i) परीक्षा शुल्क के रसीद की छायाप्रति।

(ii) 10th/मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) 12th/इन्टरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iv) स्नातक (बैचलर डिग्री) प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(v) स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(vi) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत)।

(vii) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र–IV अथवा प्रपत्र–IV (संशोधित) अथवा प्रपत्र–V (संशोधित) में (परीक्षा शुल्क में छूट हेतु)।

(viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (परीक्षा शुल्क में छूट हेतु)।

11. (i) <u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

 (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

 (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

 (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी दोषी पाये गये तो झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्त्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iii) <u>पूर्व के कदाचार का प्रभाव</u> :–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. **अंतिम तिथि :-**

(क) आवेदक One Time Registration (OTR) System के माध्यम से **दिनांक–12.09.2025 से 03.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं

(ख) **दिनांक**–**03.10.2025** के बाद **दिनांक–06.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) स्वअभिप्रमाणित मुद्रित आवेदन पत्र की प्रति एवं उपर्युक्त कंडिका–10 में उल्लेखित संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ A4 Size Papers हेतु उपर्युक्त लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथो–हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेजे दिनांक–17.10.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001 को आवश्य प्राप्त हो जाए।

(घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।